वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

पत्रांक–7/एम01–206/2002 सा0प्र0 ...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.....

विषयः– **बिहार न्यायिक सेवा में ₹ 11,23,71,473/– (ग्यारह करोड़ तेईस लाख इकहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय भार पर अवर न्यायाधीश (सिविल जज, वरीय कोटि) कुल 94 (चौरानबे) पदों का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–24713 दिनांक 01.05.2015 तथा पत्रांक–31646 दिनांक 30.05.2015 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा में अवर न्यायाधीश (सिविल जज, वरीय कोटि) कुल 94 (चौरानबे) पदों का सृजन की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–24713 दिनांक 01.05.2015 तथा पत्रांक–31646 दिनांक 30.05.2015 सह संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में ₹ 11,23,71,473/– (ग्यारह करोड़ तेईस लाख इकहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर रुपये) मात्र के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा सवंर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से अवर न्यायाधीश (सिविल जज, वरीय कोटि) के कुल 94 (चौरानबे) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों का व्यय–बजट **शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0– "N–2014001050001"** होगा एवं संबंधित **जिला एवं सत्र न्यायाधीश** इसके **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी** होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/एम01–206/2002 सा0प्र0 2614 /पटना–15, दिनांक 19-2-16

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–24713 दिनांक 01.05.2015 तथा पत्रांक–31646 दिनांक 30.05.2015 के प्रसंग में/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2016 के मद संख्या–05 के प्रसंग में/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/16
सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/U.S. & D.S.

व्यय–विवरणी

संचिका संख्या–7 / एम01–206 / 2002

बिहार न्यायिक सेवा में ₹ 11,23,71,473 / – (ग्यारह करोड़ तेईस लाख इकहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय भार पर अवर न्यायाधीश (सिविल जज, वरीय कोटि) कुल 94 (चौरानबे) पदों का सृजन पर होने वाले व्यय की विवरणीः–

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक (औसत वेतन X पदों की संख्या X 12)	मं0 भत्ता@ 113%	योग (6 + 7)
1		3	4	5	6	7	8
1	सिविल जज (वरीय कोटि)	94	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	46,770 / –	5,27,56,560 / –	5,96,14,913 / –	11,23,71,473 / –
	कुल	94			योग		11,23,71,473 / –

कुल वार्षिक व्यय का योग – 11,23,71,473 / –(ग्यारह करोड़ तेईस लाख इकहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर) रूपये मात्र।
नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

19/7/16
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।